vk|kfxd i:f'k{k.k l:LFkku e.Mh o vkb:0Vh0vkb:0 ¼efgyk½ e.Mh Mkd?kj e.Mh] rglhy lnj] ftyk e.Mh fiu dkM 175001 d: Nk= dY;k.k fuf/k y:[kkvk: dk

v:d:{k.k ,o: fujh{k.k i:fro:nu

vof/k 4@06 l: 3@11

Hkkx&,d

1 xr v:d:{k.k i:fro:nu%&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है। अतः अनिर्णीत पैरों को निपटाने हेतु षीघ्र आवष्यक कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

v:d:{k.k i:fro:nu vof/k 4@03 l: 3@06

1	पैरा–3	निर्णीत	
2	पैरा–5 (i)	निर्णीत	(₹2520 ∕ –छात्र कल्याण निधि से NCC निधि में 25.7.11 को हस्तांतरित किये गये)
3	पैरा–5 (ii)	निर्णीत	(उत्तर व भविष्य की पालना से)
4	पैरा–6 (1) (i)	निर्णीत	(₹750 ∕ –रसीद सॅख्या 1202 दिनांक 28.7.11 द्वारा वसूल की गई)
5	पैरा–6 (1) (ii)	निर्णीत	(₹2250 ∕ –रसीद संख्या 1203 दिनांक 28.7.11 द्वारा वसूल की गई)
6	पैरा–6 (2) (i)	निर्णीत	(वाऊचर 11 ∕ 03 ₹30000 के अन्तर्गत विस्कुट, बर्फी, स्वीटस की ₹640 ∕ –की वसूली रसीद संख्या 1204 दिनांक 28.7.11 द्वारा वसूल की गई। बाकी व्यय उचित प्रभार है।)
7	पैरा–6 (2) (ii)	निर्णीत	(प्रविष्टियां इत्यादि व अभिलेख जांच लिया गया)
8	पैरा–6 (3) (i)	निर्णीत	(₹1760 ∕ –रसीद संख्या 1205 दिनांक 28.7.11 द्वारा जमा कर दी गई)
9	पैरा–6 (3) (ii)	निर्णीत	(उत्तर व फर्म की प्राप्ति भुगतान रसीद जांच के बाद)
10	पैरा–6 (3) (iii)	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख की जांच उपरान्त)
11	पैरा–6 (3) (iv) (i)	अनिर्णीत	(₹6015 ∕ –की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए)
12	पैरा–6 (3) (iv) (ii)	निर्णीत	(वर्तमान में प्रस्ताव जांच लिया)
13	पैरा–7	निर्णीत	(₹330 ∕ –की वसूली रसीद संख्या 1206 दिनांक

			द्वारा 28.7.11 को की गई)
14	पैरा–8	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जांच कर ली गई)
15	पैरा–9 (i)	निर्णीत	(माह 6/05 ₹2000/–से सम्बन्धित उत्तर की जांच कर ली गई)
16	पैरा–9 (ii)	अनिर्णीत	(कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए)
17	पैरा–9 (iii)	अनिर्णीत	(यथोपरि)

ukV%& गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरों के कमांक पत्र संख्या फिन(एल0ए0)xi(xi) 245/88–खण्ड–II 6363 से 6365 दिनांक 30.11.2011 द्वारा ठीक किए गए है।

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k%&

अवधि 4/06 से 3/11 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं, श्री चन्द्रेष हाण्डा, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 18.7.11 से 30.7.2011 तक किया गया। आय के लिये माह 8/06, 7/07, 7/08, 8/09 व 7/10 तथा व्यय के लिये माह 8/06, 3/08, 1/09, 4/09 व 9/10 के लेखाओं की विस्तार से जांच पड़ताल की गई।

vads{k.k vof/k dh nkSjku fo|ky; esa fuEu lLFkk/;{k dk;Zjr jgs%&

Øa0 la0	uke o in	vof/k
1	ई0 ललित कुमार, प्रधानाचार्य	1.4.06 से 10.2.10 तक
2	ई0 देविन्द्र सिंह	10.2.10 से अब तक

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किये गये है। संस्थान द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व जांच हेतु उपरोक्त उल्लेखित मासों तक ही सीमित है।

3 vads{k.k 'kqYd%&

औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान मण्डी के लेखाओं अवधि 4/06 से 3/11 के अंकेक्षण षुल्क का आंकलन ₹7200/–(₹4800+₹2400) सात हजार दो सौ रूपये मात्र किया गया। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) की अधियाचना संख्या 496 दिनांक 26.7.11 द्वारा अंकेक्षण षुल्क की राषि को निदेषक स्थानीय

लेखा परीक्षा विभाग षिमला–9 को रेखांकित ड्राफ्ट के माध्यम से भेंजने का अनुरोध किया गया। इस राषि को ड्राफ्ट संख्याः 163793 दिनांक 28.7.11 द्वारा भेज दिया गया है।

4 foÙkh; fLFkfr%&

¼d½ संस्थान के प्रधानाचार्य को अनुभाग अधिकारी, (ले0प0) की अधियाचना संख्याः 1 आर दिनांक 18.7. 2011 द्वारा निधिवार वित्तीय स्थिति तैयार करने का अनुरोध किया गया। संस्था के निधि लेखों की वित्तीय स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट–"क" पर संलग्न है।

¼[k½ दिनांक 31.3.11 को निधियों का अन्त षेष (बैंक व रोकड़ वही) तथा बैंक समाधान विवरणी इस प्रतिवेदन के परिषिष्ट "ख" पर संलग्न है।

¼x½ दिनांक 31.3.11 को निधियों से निवेष (एफ0डी0आर0) को प्रतिवेदन के परिषिष्ट "ग" में दर्षाया गया है। विवरणी से स्पष्ट है कि ज्यादातर निवेष निजि बैंक (आई0डी0वी0आई0) में किये गये है। परामर्ष दिया जाता है कि इन राषियों को सरकार के निर्देषानुसार राज्य सहकारी बैंक में निवेष किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

5 Nk= dY;k.k fuf/k@Hkou fuf/k] [kydn] lkLdfrd xfrfof/k%&

okÅpj l[;k% 'kU;] fnukd 12-6-08 ₹60793@&

संस्था द्वारा राज्य खेंलकूद प्रतियोगिता 2008 का आयोजन मण्डी में करवाया गया। इस प्रतियोगिता में लगभग 4 दिन के लिए टैस्ट की विभिन्न मदों पर मै0 पठानिया टैन्ट हाऊस मण्डी को ₹60793 ⁄–का भुगतान किया गया। इस प्रकरण में संस्था द्वारा कुटेषने आमन्त्रित करते समय विभिन्न मदों की मात्रा का वर्णन नहीं था। उक्त टैन्ट हाऊस के कार्य हेतु मै0 षगुन लाईट व टैन्ट हाऊस ने समस्त दिनों हेतु एक मुष्त ₹31000 ⁄–की कुटेंषने दी थी जिसे संस्था द्वारा दरों को मदवार न दर्षाने के कारण अस्वीकार कर दिया जबकि संस्था द्वारा कुटेषने आमन्त्रित करते समय विभिन्न मदों का मात्रा का वर्णन किया ही नहीं गया था। तत्पष्चात यह कार्य में पठानिया टैस्ट हाऊस मण्डी से लगभग दो गुणा कीमत पर ₹60793 ⁄–में करवाया गया। अतः जिस कार्य को एक फर्म ₹31000 ⁄–में कर रही थी, उसी कार्य को दूसरी फर्म से लगभग दोगुणा ₹60793 ⁄–में करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इस प्रकार इस प्रकरण में पूर्ण छानवीन करके वस्तु स्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा अधिक भुगतान की गई राषि की जिम्मेवारी निर्धारित करते हुये इसकी वसूली उचित स्त्रोत की जाये।

¼ii½ okÅpj l[;k 'kU;] fnukd 13-6-08] ₹79185@&

इस वाउचर द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु विभिन्न प्रकार के 261 मोमैन्टो, 135 सफेद टोपियां व 240 रोसेट (गोटे व बिना गोटे वाले) क्रय हेतु कुल ₹79185 ⁄–का भुगतान मै0 भानु विज्ञान केन्द्र घुमारवीं को किया गया। इस खरीद हेतु कुटेषने क्रमषः घुमारवीं, कुल्लू व सुन्दरनगर से

आमन्त्रित की गई जबकि मण्डी में भी कई फर्में इस प्रकार के कार्य करती है। अतः मण्डी की फर्मों में इस प्रकरण में कुटेषने आमन्त्रित न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इस अनियमितता को नियमित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त इनामों को बांटने हेतु लिस्टे तैयार नहीं की गई जिन्हें यथाषीध्र तैयार करके सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

¼iii½ okÅpj l[;k 'kU;] fnukad 27-3-09 ₹40]600@&

छात्राओं की स्पोर्टस मीट दिनांक 19.3.09 से 21.3.09 को मण्डी में हुई। मै0 षगुन टैस्ट सर्विस मण्डी को उपरोक्त वाउचर द्वारा ₹9600/–का भुगतान स्पोर्टस मीट के दौरान 800 कप कॉफी हेतु ₹12/–प्रति कप की दर से किया गया जो कि निधि के ऊपर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस राषि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से की जाए अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित किया जाए।

¼iv½ okÅpj l[;k 'kU;] fnukad 9-2-10] ₹4384@&

उपरोक्त वाऊचर द्वारा मै0 विसको रिजार्टस मण्डी में मेहमानों के ठहरने व खानपान हेतु क्रमषः ₹1480 व ₹2904/–कुल ₹4384/–का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त इसी प्रकार का व्यय माह 2/10 में आई0टी0आई0 (महिला) के खाते से उपरोक्त रिजार्टस को ₹1244/–व ₹2904/– कुल ₹4148/– किया गया था। इस प्रकार के व्यय निधि के ऊपर उचित प्रभार नहीं है। अतः व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼v½ okÅpj 'kU;] fnukad 28-10-06] ₹9000@&

श्री पी0एन0 आजाद को उपरोक्त अग्रिम ₹9000/–का भुगतान एस0टी0वी0टी0 साक्षातार हेतु किया गया जिसमें ₹13854/–का व्यय किया गया। इस प्रकार षेष राषि का भुगतान दिनांक 21.12.06 को किया गया। इस सन्दर्भ में निर्देषक तकनीकी षिक्षा द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के अवलोकन पर पाया गया कि यह राषि एस0सी0वी0टी0 से प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। अतः उक्त राषि को एस0टी0वी0टी0 से प्राप्त किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼vi½ okÅpj l[;k 'kU;] fnukad 11-6-08] ₹7500@&

उपरोक्त वाऊचर द्वारा स्टेट टूर्नामैन्ट हेतु साऊड सिस्टम डी0वी0डी0 एम्पलीफायर इत्यादि पर ₹1500/–प्रतिदिन की दर पांच दिन के लिये किराये पर लेने हेतु मै0 डायमण्ड सेल्स कार्पोरेषन, मण्डी को ₹7500/– का भुगतान किया गया जो कि अत्याधिक प्रतीत होता है क्योंकि संस्था द्वारा इतनी अधिक राषि को निवेष करके नया साऊंड सिस्टम ही खरीदा जा सकता था। अतः किराये के रूप में

अदा की गई राषि के बारे में आवष्यक जांच करके वस्तु स्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाने के अतिरिक्त इस प्रकरण में नियमों के अनुरूप कार्यवाही अमल मे लाई जाए।

¼vii½ okÅpj la[;k 'kU;] fnukad 17-6-08] ₹4610@&

उपरोक्त वाऊचर द्वारा हिमाचल प्रदेष पर्यटन विकास मण्डी को दिनांक 9.5.08 व 26.5.08 को क्रमषः 16 व 17 थाली भोजन हेतु कुल ₹4610/–का भुगतान किया गया जोकि निधि के उपर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस राषि की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित कराया जाए।

¼viii½ अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि विभिन्न खेलूकद आयोजनों हेतु अग्रिमों का आहरण किया तथा इस अग्रिमों से कुछ राषियॅा खिलाड़ियों के रिफ्रैसमैन्ट पर व्यय की गई जोकि बिना किसी उप वाऊचर अथवा छात्रों से हस्ताक्षर प्राप्त किए बगैर ही समायोजन वाउचरों में व्यय दर्षाई गई जिसके कुछ विवरण निम्न प्रकार से हैः–

vfxze dh frfFk	jkf'k vfxze	vkgj.k drk	fjÝslesUV O;; n'kkZ;k ¼₹½
9.6.10	55000	व्यासा देवी	1250
23.6.10	41500	जगमोहन	1620
24.5.08	23410	रोषना	2040
2.5.08	10600	पी0एन0 आजाद	270

अतः बिना किसी बिल वाऊचर अथवा खिलाड़ियों से हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना ही रिफ्रैसमैन्ट पर दर्षाये गये व्यय को उचित मान्य नहीं माना जा सकता जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जाए।

6 iqjkuh lh0th0 'khV l dks m[kkMus rFkk ubZ lh0th0 'khV yxkus dh ckjs esa&

¼i½ okmpj la[;k 'kU;] ekg 8@09] 4350@&

उपरोक्त वाऊचर द्वारा श्री बलवीर सिंह, ठेकेदार को 205 m^2 सी0जी0आई0 सीटस छत से उखाड़ने हेतु ₹70/–प्रति m^2 की दर से कुल ₹14350/–का भुगतान किया गया। इस कार्य में 205 m^2 अर्थात 205x10.76=2206sqm (8"x3") की लगभग 90 षीटस उखाड़नी थी। 90 षीटस को 4 लेवर 2 दिन में बहुत आसानी से उखाड़ सकते थे और ज्यादा से ज्यादा ₹1500/– में यह कार्य किया जा सकता था। इस प्रकार लगभग 10 गुणा दरो में कार्य करवाना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है जिस बारे आवष्यक छानवीन करके वस्तु स्थिति से इस विभाग को अवगत करवाने के अतिरिक्त इस प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाए। इसके अतिरिक्त उखाड़ी षीटस को भी स्टॉक में भी

दर्ज नहीं किया गया है जिसे यथाषीध्र स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼ii½ okÅpj l[;k 'kU;] fnukd 21-11-09 ₹97518@&

उपरोक्त "क" में उखाड़ी गई सी0जी0आई0 षीटस के स्थान पर नई P／F सी0जी0आई0
षीट (हुक सहित) लगाने का कार्य इस वाउचर द्वारा श्री राजेष षर्मा ठेकेदार को निम्न दर पर दिया गयाः–

en	fooj.k	ek=k	nj	₹
(i)	P/F CGI Sheet with hooks	205 m^2	425	87125

इसी अवधि अर्थात माह 7／09 में एक अन्य कार्य "Addition of canteen I.T.I" में वही मद अर्थात "P/F CGI sheets with hooks" ठेकेदार द्वारा ₹324／–प्रति m^2 की दर से किया गया। इस प्रकार 205 m^2 षीटस कार्य हेतु ₹425／(–)₹324／–=₹101／–प्रति m^2 ₹20705／–का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकरण में भी आवष्यक जांच करके वस्तु स्थिति से इस विभाग को अवगत करवाने के अतिरिक्त इस प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाए।

इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि निर्माण कार्य को बिना माप पुस्तिका में दर्ज किए, बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए तथा बिना समापन प्रमाण पत्र इत्यादि प्राप्त किए ही करवाया जा रहा है जोकि अनियमित है। इसके अतिरिक्त संस्था में कार्यरत्त अधिकारी तकनीकी रूप से इस प्रकार के कार्य करवाने में सक्षम नहीं है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि संस्था मे निर्माण कार्यो को निर्माण हेतु प्राधिकृत विभागों से ही करवाया जाए।

7 okÅpj 'kU;] fnukd 1-9-10] ₹50]000@&

उपरोक्त वाउचर द्वारा ₹50,000／–नई आई0टी0आई0 करसोग को उधार दी गई है। अतः उस राषि को वापिस प्राप्त करने हेतु उचित कार्यवाही की जाए।

8 okÅpj 'kU;] fnukd 3-11-08] ₹394035@&

okÅpj 'kU;] fnukd 30-1-09] ₹782640@&

उपरोक्त राषियों का अग्रिम हिमाचल प्रदेष राज्य इलैक्ट्रोनिक्स निगम को आईटी0आई0 बग्सैड व मण्डी हेतु कम्पयूटर व अन्य सामान की खरीद हेतु प्रदान किया गया। अतः इस प्रकरण में अग्रिम राषियों का समायोजन करते हुये प्राप्त सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियॉ इत्यादि करनी सुनिष्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 y/kq vkifÙk foojf.kdk& इसे अलग से जारी नहीं किया गया।

10 fu"d"kZ&लेखों में उचित सुधार की आवष्यकता है।

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)सी (xi) 245/88 खण्ड–II दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

i:thd`r 1 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान मण्डी व आई0टी0आई0 (महिला) मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाही करके सटिप्पण उत्तर अतिषीघ्र इस विभाग को अतिषीध्र भेजें।

2 निदेषक, तकनीकी षिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रषिक्षिण संस्थान हिमाचल प्रदेष सुन्दरनगर, जिला मण्डी,

3 सचिव तकनीकी षिक्षा हि0प्र0 सरकार षिमला–2

4 श्री चन्द्रेष हाण्डा अनुभाग अधिकारी द्वारा..........

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.